

एसईसी-1/187(2)/2025/2667

दिनांक: 26 दिसंबर, 2025

<b>लिस्टिंग विभाग,</b> नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड एक्सचेंज प्लाजा, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051	<b>कॉर्पोरेट संबंध विभाग,</b> बीएसई लिमिटेड पहली मंजिल, फिरोज जीजीभोय टॉवर्स, दलाल स्ट्रीट, फोर्ट, मुंबई - 400 001
<b>स्क्रिप कोड-RECLTD</b>	<b>स्क्रिप कोड-532955</b>
<b>Listing Department,</b> National Stock Exchange of India Limited Exchange Plaza, Bandra kurla Complex, Bandra (East), Mumbai-400 051	<b>Corporate Relationship Department,</b> BSE Limited 1 <sup>st</sup> Floor, Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai - 400 001
<b>Scrip Code-RECLTD</b>	<b>Scrip Code-532955</b>

**विषय: सहायक कंपनियों के निगमन की सूचना।**

महोदय / महोदया,

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 की अनुसूची III के साथ पठित विनियम 30 के अनुपालन में, यह सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित तीन सहायक कंपनियों को आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड ("आरईसीपीडीसीएल" - आरईसी लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी):

- 1) धौलपुर पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड (सीआईएन: U42202DL2025GOI460419)
- 2) जैसलमेर पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड (सीआईएन: U42202DL2025GOI460420)
- 3) रानीपुर चुनार पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड (सीआईएन: U42202DL2025GOI460532)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(87) के प्रावधानों के अनुसार उक्त कंपनियां आरईसी लिमिटेड की सहायक कंपनियां भी हैं। अन्य अपेक्षित विवरण **अनुलग्नक -1** के रूप में संलग्न हैं।

यह आपकी जानकारी के लिए है।

धन्यवाद,

भवदीय,  
आरईसी लिमिटेड के लिए  
Digitally Signed

(दिनेश गर्ग)  
कंपनी सचिव और  
अनुपालन अधिकारी

संलग्न : ऊपरोक्त अनुसार

**क्षेत्रीय कार्यालय:** बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चेन्नई, देहरादून, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, पंचकूला,

पटना, रायपुर, रांची, शिलांग, शिमला, तिरुवनंतपुरम और विजयवाड़ा

**राज्य कार्यालय:** वडोदरा, वाराणसी

**प्रशिक्षण केंद्र:** आरईसी इंस्टीट्यूट ऑफ पावर मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग (आरईसीआईपीएमटी), हैदराबाद

पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों का निगमन

क्र. सं.	विवरण	धौलपुर पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	जैसलमेर पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	रानीपुर चुनार पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड
1.	लक्षित इकाई का नाम, संक्षेप में विवरण जैसे आकार, कारोबार आदि।	<p>नाम: धौलपुर पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड अधिकृत पूंजी: 5,00,000/- प्रदत्त पूंजी: 5,00,000/- कारोबार: लागू नहीं (यह एक नई निगमित कंपनी है और अभी तक अपना व्यवसाय प्रारंभ नहीं किया है)।</p> <p>राजस्थान सरकार ने 27 अक्टूबर, 2025 की अपनी अधिसूचना के माध्यम से एक अंतर-राज्य पारेषण परियोजना आवंटित की थी, जिसमें आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड (आरईसीपीडीसीएल) को संबंधित पारेषण प्रणाली के साथ धौलपुर में 400/220 केवी ग्रिड सब-स्टेशन के लिए बोली प्रक्रिया समन्वयक (बीपीसी) के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया है।</p> <p>उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, धौलपुर पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड का गठन 23 दिसंबर, 2025 को किया गया है (निगमन प्रमाणपत्र 26 दिसंबर, 2025 को प्राप्त हुआ)। टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली (टीबीसीबी) दिशानिर्देशों के अनुसार सफल बोलीदाता के चयन के पश्चात उक्त कंपनी को उसके सभी परिसंपत्तियों एवं</p>	<p>नाम: जैसलमेर पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड अधिकृत पूंजी: 5,00,000/- प्रदत्त पूंजी: ₹5,00,000/- कारोबार: लागू नहीं (यह एक नई निगमित कंपनी है और अभी तक अपना व्यवसाय प्रारंभ नहीं किया है)।</p> <p>राजस्थान सरकार ने 27 अक्टूबर, 2025 की अपनी अधिसूचना के माध्यम से एक अंतर-राज्य पारेषण परियोजना आवंटित की थी, जिसमें आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड (आरईसीपीडीसीएल) को संबंधित पारेषण प्रणाली के साथ 765 केवी जीएसएस जैसलमेर (तेलीवाड़ा) के लिए बोली प्रक्रिया समन्वयक (बीपीसी) के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया है।</p> <p>उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, जैसलमेर पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड का गठन 23 दिसंबर, 2025 को किया गया है (निगमन प्रमाणपत्र 26 दिसंबर, 2025 को प्राप्त हुआ)। टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली (टीबीसीबी) दिशानिर्देशों के अनुसार सफल बोलीदाता के चयन के पश्चात उक्त कंपनी को उसके सभी परिसंपत्तियों एवं देनदारियों सहित सफल बोलीदाता को</p>	<p>नाम: रानीपुर चुनार पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड अधिकृत पूंजी: 5,00,000/- प्रदत्त पूंजी: 5,00,000/- कारोबार :लागू नहीं (यह एक नई निगमित कंपनी है और अभी तक अपना व्यवसाय प्रारंभ नहीं किया गया है)।</p> <p>उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड (यूपीपीटीसीएल) ने 9 अक्टूबर, 2025 के अपने आशय पत्र के माध्यम से एक अंतर-राज्य ट्रांसमिशन परियोजना आवंटित की थी, जिसमें आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड (आरईसीपीडीसीएल) को उनकी संबंधित लाइनों के साथ 220/132/33 केवी एआईएस सबस्टेशन, रानीपुर (मऊ) और 220/132133 केवी एआईएस सबस्टेशन, चुनार (मिर्जा पुर) के निर्माण के लिए बोली प्रक्रिया समन्वयक (बीपीसी) के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया है।</p> <p>उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, रानीपुर चुनार पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड का गठन 26 दिसंबर, 2025 को किया गया है। टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली (टीबीसीबी) दिशानिर्देशों के अनुसार सफल बोलीदाता के चयन के पश्चात उक्त कंपनी को उसके सभी परिसंपत्तियों एवं देनदारियों</p>

		देनदारियों सहित सफल बोलीदाता को हस्तांतरित कर दिया जाएगा।	हस्तांतरित कर दिया जाएगा।	सहित सफल बोलीदाता को हस्तांतरित कर दिया जाएगा।
2.	क्या यह अधिग्रहण संबंधित पक्ष लेन-देन के अंतर्गत आएगा और क्या प्रमोटर / प्रमोटर समूह/समूह कंपनियों की अधिग्रहित इकाई में कोई रुचि है?  यदि हाँ, तो रुचि का स्वरूप और उसके विवरण, तथा क्या यह लेन-देन " स्वतंत्र सव्यवहार " आधार पर किया गया है।	धौलपुर पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड, आरईसीपीडीसीएल की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, अतः यह आरईसी लिमिटेड की संबंधित पक्ष है।  प्रमोटर, प्रमोटर समूह/समूह कंपनियों की धौलपुर पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड में उनकी शेयरधारिता की सीमा के अतिरिक्त कोई रुचि नहीं है।	जैसलमेर पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड, आरईसीपीडीसीएल की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, अतः यह आरईसी लिमिटेड की संबंधित पक्ष है।  प्रमोटर, प्रमोटर समूह/समूह कंपनियों की जैसलमेर पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड में उनकी शेयरधारिता की सीमा के अतिरिक्त कोई रुचि नहीं है।	रणिपुर चुनार पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड, आरईसीपीडीसीएल की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, अतः यह आरईसी लिमिटेड की संबंधित पक्ष है।  प्रमोटर, प्रमोटर समूह/समूह कंपनियों की रणिपुर चुनार पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड में उनकी शेयरधारिता की सीमा के अतिरिक्त कोई रुचि नहीं है।
3.	अधिग्रहित इकाई किस उद्योग से संबंधित है।	विद्युत क्षेत्र।	विद्युत क्षेत्र।	विद्युत क्षेत्र।
4.	अधिग्रहण की वस्तुएं और प्रभाव (लक्षित इकाई के अधिग्रहण के कारणों का प्रकटीकरण सहित, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं, यदि इसका व्यवसाय सूचीबद्ध इकाई के व्यवसाय की मुख्य रेखा से बाहर है)	कंपनी को एसोसिएटेड ट्रांसमिशन सिस्टम के साथ धौलपुर में 400/220 केवी ग्रिड सब-स्टेशन के लिए शामिल किया गया है।	कंपनी का गठन 765 केवी जीएसएस जैसलमेर (तेलिवारा) तथा उससे संबंधित ट्रांसमिशन प्रणाली के लिए किया गया है।	कंपनी का गठन 220/132/33 केवी एआईएस उपस्टेशन रणिपुर (मऊ) तथा 220/132/33 केवी एआईएस उपस्टेशन चुनार (मिर्जापुर) और उनसे संबंधित लाइनों के निर्माण के लिए किया गया है।
5.	अधिग्रहण के लिए आवश्यक किसी भी सरकारी या नियामक अनुमोदन का संक्षिप्त विवरण	राजस्थान सरकार द्वारा जारी 27 अक्टूबर, 2025 की अधिसूचना के अनुसार निगमित किया गया, जिसमें आरईसीपीडीसीएल को बीपीसी के रूप में नामित किया गया है।	राजस्थान सरकार द्वारा जारी 27 अक्टूबर, 2025 की अधिसूचना के अनुसार निगमित किया गया, जिसमें आरईसीपीडीसीएल को बीपीसी के रूप में नामित किया गया है।	यूपीपीटीसीएल द्वारा जारी 9 अक्टूबर, 2025 के आशय पत्र के अनुसार निगमित किया गया, जिसमें आरईसीपीडीसीएल को बीपीसी के रूप में नामित किया गया है।
6.	अधिग्रहण को पूरा करने के लिए सांकेतिक समय अवधि	लागू नहीं।	लागू नहीं।	लागू नहीं।
7.	विचार की प्रकृति- चाहे नकद विचार या शेयर स्वैप और उसी का विवरण	नकद में इक्विटी शेयर पूंजी के लिए 100% सदस्यता।	नकद में इक्विटी शेयर पूंजी के लिए 100% सदस्यता।	नकद में इक्विटी शेयर पूंजी के लिए 100% सदस्यता।
8.	अधिग्रहण की लागत या वह कीमत जिस	अंकित मूल्य पर इक्विटी शेयर की 100% सदस्यता।	अंकित मूल्य पर इक्विटी शेयर की 100% सदस्यता।	अंकित मूल्य पर इक्विटी शेयर की 100% सदस्यता।

	पर शेयर अर्जित किए जाते हैं			
9.	अर्जित शेयरधारिता/नियंत्रण का प्रतिशत और/या अर्जित शेयरों की संख्या	100%	100%	100%
10.	अधिग्रहित उत्पादों/व्यापार की रेखा, निगमन की दिनांक, पिछले 3 वर्षों के कारोबार का इतिहास, जिस देश में अधिग्रहित इकाई की उपस्थिति है और कोई अन्य महत्वपूर्ण जानकारी (संक्षेप में) के संदर्भ में अधिग्रहित इकाई के बारे में संक्षिप्त पृष्ठभूमि	आरईसीपीडीसीएल अन्य बातों के साथ-साथ विद्युत मंत्रालय और राज्य सरकारों द्वारा समय-समय पर सौंपी गई स्वतंत्र अंतर-राज्य और अंतर-राज्य पारेषण परियोजना के लिए टीबीसीबी प्रक्रिया के माध्यम से पारेषण सेवा प्रदाता के चयन के लिए "बीपीसी" के रूप में कार्य करता है।	आरईसीपीडीसीएल अन्य बातों के साथ-साथ विद्युत मंत्रालय और राज्य सरकारों द्वारा समय-समय पर सौंपी गई स्वतंत्र अंतर-राज्य और अंतर-राज्य पारेषण परियोजना के लिए टीबीसीबी प्रक्रिया के माध्यम से पारेषण सेवा प्रदाता के चयन के लिए "बीपीसी" के रूप में कार्य करता है।	आरईसीपीडीसीएल अन्य बातों के साथ-साथ विद्युत मंत्रालय और राज्य सरकारों द्वारा समय-समय पर सौंपी गई स्वतंत्र अंतर-राज्य और अंतर-राज्य पारेषण परियोजना के लिए टीबीसीबी प्रक्रिया के माध्यम से पारेषण सेवा प्रदाता के चयन के लिए "बीपीसी" के रूप में कार्य करता है।

\*\*\*\*\*